निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –21/2019

अनवान

1. राजू पिता नारायण जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसीलर रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्रीमती दरियाव बाई पत्नि राजू जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता भैरू गुर्जर जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. भवानी बाई पिता देवीलाल गुर्जर जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम रेनखेड़ा प0ह0 रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार रावतभाटा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक – 26.05.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम रेनखेड़ा पटवार हल्का रेनखेड़ा में खाता संख्या 198 आराजी संख्या 425/875 रकबा 0.57 है0 तथा खाता संख्या 200 खसरा संख्या 425/888 रकबा 0.57 है0 भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रिकोर्ड होकर ऐलोटमेन्ट के समय से ही प्रार्थीगण काबिज है और काश्त कर रहें है। प्रार्थीगण के खातेदारी रेकार्ड की उपरोक्त वर्णित आराजियात की पूर्व दिशा की ओर विपक्षी संख्या 01 व 02 की जमीन है जिनके खसरा संख्या 427/876 व खसरा संख्या 427मी. स्थित है। उक्त दोनो खसरों की भूमि के उत्तर दिशा में मेढ़ बनी हुई है जिसे सलंग्न नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से दर्शाया गया है, इस मेढ़ से होकर प्रार्थीगण अपनी ट्रेक्टर, खाद, बीज, फसले आदि लाते ले जाते रहे है। प्रार्थीगण का एकमात्र यही रास्ता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। वर्तमान में विपक्षी सं. 01 व 02 की आराजी के उत्तर दिशा की ओर रास्ते पर मेढ़ बनी हुई है उसी मेढ से होकर प्रार्थीगण मैन रास्ता बडोदिया रेनखेडा जो उत्तर से दक्षिण दर्ज रिकार्ड है जसे जाकर मिलता है इसलिए प्रार्थीगणों के हित के लिए उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता दिया जाना न्योयाचित नहीं है। प्रार्थीगण को दिनांक 16.06.2019 को अपनी आराजीयात पर विपक्षीगणों की आराजियात के उत्तर दिशा की ओर बने रास्ते से जाने पर रोक दिया व हंकाई जुताई करने से रोक दिया व रास्ते पर लोहे के कांटेदार तारों से फैंसिंग लगाकर रास्ता बन्द कर दिया है और प्रार्थीगण को रास्ते से आने जाने से रोक दिया, प्रार्थीगण द्वारा रास्ता बन्द नहीं करने की कहने पर लडाई झगडा कर मौके पर आम शांति भंग करने पर आमादा हो गए जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आने जाने से महरूम हो गए है, प्रार्थीगण को व उनके परिवार वालों को भूखें मरने की स्थिति पूरे साल आ जायेगी इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये रास्ते हेतु भूमि दिलाये जाने एवं उक्त भूमि का नियमानुसार जो भी शुल्क होगा वह देने को तैयार है का कथन कर विपक्षीगण की आराजीयात में से उत्तर दिशा में मेढ़ के पास पूर्व से पश्चिम पूर्व से स्थित रास्ता पुनः कायम किये जाकर रास्ता दिलाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। विपक्षीगण ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी संख्या 427/876 व 427मी. की उत्तर दिशा में मेड बनी हुई है जिस पर आधी कोट बनी हुई है और आधी में कांटेदार तार लगा कर फेंसिंग कर रखी है करीब 8 वर्ष पुरानी है। अप्रार्थीगण की उत्तर दिशा की मेड पर प्रार्थीगण का कभी आने जाने का रास्ता नही रहा है। प्रार्थना पत्र में कदीमी समय से आने जाने का गलत अंकन किया गया है। खसरा संख्या 426/872 ओर खसरा संख्या 426मी. जो श्यामजी सुथार और बजेलाल सुथार की खातेदारी है।इन आराजीयात के उत्तर दिशा में मोजा सेमलिया की ओर से गाडी गडार आती है जो रेनखेडा से बडोदिया जाने वाली सडक पर आकर मिलती है। हमने करीब 8 वर्षों से तारबंदी कर रखी है और एक दिशा में कोट कर रखा है।प्रार्थीगण के पास दो वेकल्पिक रास्ते मौजूद है। और वे इन्हीं रास्ते से आते जाते रहे है। अब प्रार्थीगण को उत्तर दिशा में हमारी आराजीयात पर से रास्ते मांगने का कोई हक नहीं है। प्रकरण रास्ता कायमी का होने से तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम रेनखेड़ा की आराजी संख्या 425/875 रकबा 0.57 है0 व आराजी संख्या 425/888 रकबा 0.57 है0 कुल किता 02 रकबा 1.14 है0 होकर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त आराजी में पहुंचने के लिये आराजी संख्या 427/876 व 427मी. किता 2 रकबा 1.80 है0 की उतरी मेड के सहारे–सहारे रास्ता चाहा है उक्त आराजी संख्या श्री देवीलाल पुत्र भैरू 1/2 हिस्सा व भवानी बाई पत्नि देवीलाल 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी विगत सालों से इसी रास्ते से अपनी आराजीयात पर आता जाता रहा है। वर्तमान में यह रास्ता बंद कर दिया है । इसके अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य वैकल्पिक रास्ता जिसे नजरी नक्शें में दर्शाया गया है जो आराजी संख्या 427/876 व आराजी संख्या 427मी. की उतरी मेड व आराजी संख्या 426/872 व 426मी. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थीगण की आराजी तक जाता है।

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा वे वर्तमान में विपक्षी की आराजी संख्या 427/876 व 427मी. की उतरी मेड के सहारे–सहारे से होकर आता जाता है, प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की उक्त भूमि में से उतरी मेड पर से नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर पत्थर की दिवार को प्रार्थीगण के स्वयं के खर्चे से हटाकर रास्ता निकालनें में सहमति जताई तथा निवेदन किया कि पत्थर की दिवार को हटाकर रास्ता कायम किये जाने के बाद अप्रार्थीगण की आराजी में बनाये जाने की जिम्मेदारी प्रार्थीगण की रहेगी। इस पर उभय पक्ष ने सहमति जताई। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 26.04.2021 के अनुसार उक्त प्रकरण में प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी संख्या 427/876 व 427मी. की उतरी मेड पर से रास्ते हेतु भूमि चाहता है, उक्त रास्ते की लम्बाई 192 मीटर है। तथा इस रास्ते में आराजी संख्या 427/876 की (84X4मी=336वर्ग मी.) व आराजी संख्या 427मी. की (108X4मी = 432वर्ग मी.) भूमि काम आयेगी। इसके अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य वैकल्पिक रास्ता जिसे नजरी नक्शें में दर्शाया गया है जो

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आराजी संख्या 427/876 व आराजी संख्या 427मी. की उतरी मेड व आराजी संख्या 426/872 व 426मी. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थीगण की आराजी तक जाता है। उक्त प्रस्तावित वेकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजी को बडौदिया–रेनखेड़ा मुख्य डामर रोड से जोडता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 188 मीटर होगी तथा इस रास्ते में आराजी संख्या 427/876 की (84X2मी=168वर्ग मी.) व आराजी संख्या 427मी. (108X2मी=216वर्ग मी.) तथा आराजी संख्या 426/872 की (92X2मी.=184वर्ग मी.) व आराजी संख्या 426 मी. की (96X2मी=192वर्ग मी.) भूमि काम आयेगी। आराजी संख्या 426/872 दीगर खातेदारी के नाम दर्ज है। इसके अनुसार प्रार्थी को ग्राम रेनखेडा की आराजी संख्या 427/876 व आराजी संख्या 427 के उतरी मेड पर से रकबा 168 वर्गमीटर व 216 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 369360/ रू. प्रति है0 से कीमत 7600/रू. व 9800/रू. बनती है।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम रेनखेडा पटवार हल्का रेनखेडा की आराजी संख्या 425/875 व 425/888 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 427/876 व 427मी. कुल रकबा 1.80 है0 में से उतरी मेड के सहारे पर 168 व 216 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 168 व 216 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 369360/रू. अनुसार कीमत 7600/रू. व 9800/रू. की दुगुनी दर से राशि 34800/रू. (अक्षरे रूपये चौंतीस हजार आठ सौ रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड़ अधिकारी रावतभाटा